

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में ~~कोटाला से नदी नं ११५~~ मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 1:५५२ हैक्टेयर वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु दुगुने अर्थात् 2:८८४ हैक्टेयर में वनीकरण हेतु वन विभाग द्वारा ग्राम ~~दुल्हा~~ की सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। उक्त भूमि वनीकरण हेतु उपयुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा प्रस्ताव में 2.10 (प्रपत्र संख्या 43) में दिया गया है।

उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व की है एवं राजस्व अभिलेखों में खाता संख्या ५.७ के अन्तर्गत श्रेणी ९.(३) रब में दर्ज है। यह भूमि शासनादेश संख्या 759(1)/ XVII (2)/ 2009 दिनांक 20.03.2010 द्वारा लैन्ड बैंक के अन्तर्गत अनुमोदन उपरान्त जिला अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक 558/ 26— वन / 2010–11 दिनांक 02.07.2010 के अनुसार (प्रति संलग्न) वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित कर दी गयी है। उक्त भूमि मध्ये तहसीलदार कपकोट के पत्रांक/— भूलेख दिनांक ५.५.१६ द्वारा १६२:१९५ हैक्टेयर की खतौनी दी गयी है, जो संलग्न है।

संलग्न— उक्तानुसार

५.५.१६/१२५१६
अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर *५.५.१६*

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या.- 558 / छव्वीस-वन / 2010-11 दिनांक: 02 जून 2010
कृत्ति

सेवामे

अधिकारी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड,

लोक निर्माण विभाग,

बागेश्वर ॥

विषय:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक पर अपने कार्यालय के फैक्स पत्र संख्या- 223/2 ई०३०भ० दिनांक: 02 जुलाई 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जनपद में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में रथानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि जनपद के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित तहसीलवार कुल भूमि- 1402.678 हेठो की सूचना / स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या- 172 / छव्वीस-वन / 2008-09 दिनांक: 02 फरवरी 2009 से शासन को प्रेषित की गई थी, जिसकी रखीकृति शासन ने अपने पत्र संख्या- 759 (1) / xviii (2) / 2009 दिनांक: 20 मार्च 2010 के माध्यम से प्रदान की थी, किन्तु चिन्हित भूमि का 0.982 हेठो भूमि पर रथलीय कब्जा वन विभाग को देते समय तहसील गरुड़ के अन्तर्गत 0.982 हेठो भूमि से ग्रामवासियों हारा आपत्ति दर्ज की गई है। वर्तमान में 0.982 हेठो भूमि को चिन्हित भूमि से पृथक कर लिया गया है, तदनुसार 1265.676 हेठो भूमि वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में रथानान्तरित की जा चुकी है, शेष तहसील गरुड़ एवं काण्डा में चिन्हित भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में रथानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया इस स्तर पर गतिमान है। जिसकी रूचना पृथक से प्रेषित की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी,

कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर को अधिकारी अभियन्ता, लो०नि०वि० यागेश्वर के उक्त फैक्स पत्र संख्या जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठाक्रित है, एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या- 552 / छव्वीस-वन / 2010-11 दिनांक: 29 जून 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें के क्रम में इस आशय के साथ प्रेषित की उत्तानुसार शेष भूमि को अपने प्रशासनिक नियन्त्रण में लेते हुए इस कार्यालय को यथार्थीय अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया इस कार्य को प्राथमिकता से लेवें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।